


अतः पत्रावली पूर्वानुसार विनांक 15-10-24 को पेश हो।

15<sup>10</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं अभिभाषक वादीगण अनुपस्थित। तीन बार रूक-रूक कर उभावाज लगायी गयी, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में गुणावमुण पर टिप्पणी किये बिना, अदम हाजरी, अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दारखिल दफ्तर हो।





उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

